

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

मु0फौ0वाद सं0 2456/19

सी0एन0आर0नं0-यू0पी0 एल0पी0-040169812019

सरकार

बनाम

गंगाराम

मु0अ0सं0 266/19

धारा 302 भा0दं0सं0

थाना -मैगलगंज

जिला- खीरी।

सत्र सुर्पुदगी आदेश

अभियुक्त गंगाराम के विरुद्ध थाना मैगलगंज जिला खीरी की पुलिस ने मु0अ0सं0 266/19 धारा-302 भा0दं0सं0 के अपराध में परीक्षण हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियुक्त जेर हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त को अभियोजन प्रलेखों की प्रतियां धारा- 207 दं0प्र0सं0 के अनुसार प्रदान की जा चुकी है।

अपराध अन्तर्गत धारा- 302 भा0दं0सं0 अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अभियुक्त का प्रस्तुत मुकदमा विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सुर्पुद किया जाता है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः वह दौरान विचारण एवं विचारण की समाप्ति तक सत्र न्यायालय के अन्यथा आदेशपर्यन्त न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0), खीरी को इस सम्बंध में सूचना भेजी जावे। पत्रावली मय समस्त अभिलेख कलेण्डर एवं वाद सम्पत्ति यदि कोई हो, के सहित अन्दर सप्ताह भेजी जावे।

अभियुक्त को जेल से तलव कर नियत दिनांक- 02-8-2019 को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे।

(सुनील प्रसाद)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

लखीमपुर-खीरी।

16-7-2019

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी।

मु०फौ०वाद सं० 2456 / 19

सी०एन०आर०नं०-यू०पी० एल०पी०-040169812019

सरकार

बनाम

गंगाराम

मु०अ०सं० 266 / 19

धारा 302 भा०दं०सं०

थाना -मैगलगंज

जिला- खीरी।

सेवा में,

माननीय सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर-खीरी।

महोदय,

निवेदन है कि मैंने आज दिनांक 16-7-2019 को उपरोक्त मुकदमा माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है।

अभियोजन के लिए 13 साक्षी हैं और इस न्यायालय में उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दिन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि मैंने अभियुक्त को सूचित कर दिया है कि वह दिनांक 02-8-2019 को सत्र न्यायालय में उपस्थित हो।

भवदीय,

(सुनील प्रसाद)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लखीमपुर-खीरी।

दिनांक-16-7-2019

नाम पता अभियुक्त/अभियुक्तगण जेल में

1-गंगाराम पुत्र राधेश्याम निवासी मझिया थाना मैगलगंज जिला खीरी

